

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | विभाग का नाम               | कृषि   |
| 2 | योजना का नाम               | कस्टम हायरिंग सेन्टर   |
| 3 | योजना की संक्षिप्त टिप्पणी | कृषकों के समूह/व्यक्तिगत कृषक को को पावर चालित 10 लाख रु० के कृषि यंत्रों पर 4 लाख रु० का अनुदान देय है।                     |
| 4 | पात्रता की अर्हता          | समस्त कृषक   |
| 5 | आवेदन करने की प्रक्रिया    | ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स०वि०अ०कृषि के माध्यम से |
| 6 | लिंक वेबसाइट               | <a href="http://upagriculture.com/">http://upagriculture.com/</a>  |
| 7 | सम्पर्क सूत्र              | अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।      |